

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्टेट जरिये श्रीमती सरोज विश्नीई, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बीकानेर : ब ना म : भंवरलाल प्रजापत पुत्र श्री सोहनलाल प्रजापत, रानी बाजार, इंडस्ट्रीय एरिया, रोड़ पर नं. 03 नम्बर रोड़ के सामने, बीकानेर (प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 6(ए) ई.सी.एक्ट, 1955) मुकदमा संख्या 07/19</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>08.01.20</p>	<p>: आ दे श :</p> <p>उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर्स का उपयोग अपने व्यवसायिक स्थल पर किया जाना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाइ एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 के खण्ड 3(1)(सी), 3(2) तथा खण्ड 7(सी) का उल्लंघन तारीफ में आता है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अपनी बहस का समापन करते हुए अप्रार्थी के कब्जे से जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर्स को बहक सरकार अधिहरण किये जाने की इस्तदुआ की।</p> <p>उपरिथत अप्रार्थी श्री भंवरलाल प्रजापत द्वारा विभागीय प्रतिनिधि की बहस के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी। अप्रार्थी मौन रहे।</p> <p>हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर्स का उपयोग एवं भण्डारण किया जाना फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगी नाम से प्रमाणित है। इसके खण्डन में ना तो अप्रार्थी एवं अप्रार्थी की और से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा है एवं ना ही अप्रार्थी पक्ष की और से कोई आपति प्राप्त हुई है। परिणामतः अप्रार्थी का यह कृत्य पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी द्वारा 10 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा (गैस तौलने हेतु) व वाहनों में गैस रिफिलिंग हेतु प्रयुक्त दो मशीन मय पाईप व रेगुलेटरर्स के जिन्हे मौके पर जब्त किया गया, को व्यवसाय स्थल पर दुरुपयोग करते हुए वाणिज्यिक प्रयोग लेना एवं भण्डारण किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाइ एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 के खण्ड 3(1)(सी), 3(2) तथा खण्ड 7(1)(सी) के उल्लंघन की तारीफ में आता है।</p> <p>अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी धारा 6(ए) स्वीकार किया जा कर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में वर्णित 10 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को एतद् द्वारा बहक सरकार अधिहरण (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। चूंकि उपर्युक्तानुसार सीजशुदा गैस सिलेण्डर मैसर्स दुर्गा इण्डेन गैस एजेन्सी पटेल नगर, बीकानेर की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखा हुआ है व इनका निस्तारण संबंधित ऑयल कंपनी द्वारा ही किया जाना है। अतः यदि संबंधित ऑयल कम्पनी प्रश्नगत गैस सिलेण्डर्स को किसी उपभोक्ता के हक में कनेक्शन नये सिर से देती है तो कनेक्शन से प्राप्त होने वाली राशि को राजकोष में जमा कराएँ। और कम्पनी यदि सिलेण्डर्स को उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं पाती है तो D.S.O. / स्टॉफ के समक्ष इसको Destroy करें एवं Destroy के पश्चात् उसके स्क्रैप तथा 2 गैस रिफिलिंग मशीनों व रेगुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा को सार्वजनिक नीलामी (Public auction) के जरिये नीलाम करें तथा नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि को राजकोष में जमा करावें। इस आदेश की प्रति D.S.O. व संबंधित ऑयल कम्पनी को पालनार्थ भेजी जावे। मिसल फैंसल शुमार की जा कर नम्बर 08.01.20 को ध्यान में रखा हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश आज दिनांक 08.01.20 हमारे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील ताम्बोल दाखिल दफतर हो।</p>	



(कुमार पाल गौतम)

जिला कलेक्टर, बीकानेर